कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण,ग्वालियर (म0प्र0)

विज्ञापन क. 3515 दिनांक10.06.2020

//विज्ञप्ति//

//ग्वालियर विकास प्राधिकरण की भगवान सिंह माथुर सिटी इन्क्लेव योजनान्तर्गत एच.आई.जी ईकाईयों (फ्लेट्स) के पंजीयन//

ग्वालियर विकास प्राधिकरण की भगवान सिंह माथुर सिटी इन्क्लेव योजनान्तर्गत एच.आई.जी ईकाईयों (फ्लेट्स) के पंजीयन हेतु प्रस्ताव निम्नलिखित तालिका अनुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते है –

क.	ईकाई का कमांक (3-BHK HIG Flats)	क्षेत्रफल वर्ग मी. (बिल्टप एरिया)	आरक्षण का वर्ग तथा आरक्षित किये गये ईकाईयों की संख्या	नियत मूल्य (प्रावधिक)	रजिस्ट्रीकरण प्रभार	वार्षिक पट्टा भाड़ा	पंजीयन राशि 10%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HA-204, 404 HB-304 HC-301, 401, 404	88.86	अनारक्षित	3760269/-	यथानियम	यथानियम	376027/-
2	HA- 302, 402, HB-, 303,402, 403 HC-402	92.80	अनारक्षित	3883834/-	यथानियम	यथानियम	388383/-
3	HD-101	78.09	अनारक्षित	3419077/-	यथानियम	यथानियम	341908/-
4	HD-102, 302	87.91	अनारक्षित	3727049/-	यथानियम	यथानियम	372705/-
5	HD- 203, 303 403,	88.71	अनारक्षित	3752138/-	यथानियम	यथानियम	375214/-

उपरोक्त सम्पत्तियों के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रपत्र **आईडीबीआई,बैंक नया बाजार लश्कर ग्वालियर** की विभिन्न शाखाओं से विहित राशि रूपये 1000/– एवं जीएसटी शुल्क 180/– का बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक /नगद राशि जमा कर प्राप्त किये जा सकते है अथवा प्रपत्र को ऑनलाईन द्वारा प्राधिकरण की बेबसाईट www.gdagwalior.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जिसका रू. 1000/– एवं जीएसटी शुल्क रू. 180/– का बैंक ड्राफ्ट आवेदन प्रपत्र के साथ पृथक से देय होगा। उपरोक्त रजिस्ट्रीकरण की तारीख 15.06.2020 से 15.07.2020 **अपरान्ह 4.00 बजे** तक निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रीकरण हेतु निबंधन तथा शर्ते, प्रपत्र में दर्शाई गई है, तथा प्राधिकरण की बेबसाईट पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

नोटः–फ्लैट संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन लॉटरी पद्धति से दिनांक 22.07.2020 को किया जावेगा। जिसमें आवेदनकर्ता उपस्थित हो सकेगें।

2— पंजीयन **राशि का डी.डी./बैकर्स** चैक द्वारा जो कि **मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण** (C.E.O. , G.D.A. Gwalior)के नाम देय होगा, आवेदन के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा।

3— उपलब्ध संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन लॉटरी पद्धति से प्राधिकरण कार्यालय में किया जावेगा। जिसमें आवेदनकर्ता उपस्थित रह सकते है।

4— आवेदनकर्ता पर शासन के व्ययन नियम 2018 एवं समय—समय पर जारी आदेश व प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय प्रभावशील रहेगें।

5— फ्लेटों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, आवेदनकर्ता आवेदन से पूर्व स्थल पर अवलोकन कर सकते हैं तथा यथास्थिति में आबंटन किया जावेगा। बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

6— परिसर के रखरखाव /सचांलन शुल्क कब्जा दिनांक/ पट्टा विक्रय, पट्टा दिनांक से प्रभावशील है, जिसका भुगतान आवेदनकर्ता को विक्रय विलेख से पूर्व जमा करना होगा।

7— व्ययन नियम 2018 के भाग तीन में नियम 11 अनुसार विकित सम्पत्ति पूर्ण विकसित अथवा निर्मित होने से एक मुश्त राशि के भुगतान पर आवंटित की जावेगी। यदि आवेदनकर्ता द्वारा एक मुश्त राशि न देते हुये किश्तों पर भुगतान के संबंध में कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसके आवेदनुसार ऐसी किश्तों पर अधिकतम आठ त्रेमासिक किश्तों में भुगतान किया जोवगा और किश्तों पर अधिकतम ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैक द्वारा अधिसूचित /ऋण दरों में दो प्रतिशत जोडकर निर्धारित की जायेगी।

8— नियमानुसार जी.एस.टी. शुल्क देय होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
ग्वालियर

कमांक/भगवान सिंह माथुर/सम्पदा/2020/ ग्वालियर, दिनांक ....

प्रतिलिपिः—

1— निज सचिव मान. अध्यक्ष महोदय ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।

2— निज सहायक मुख्य कार्यपालन अधिकारी /अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री 1/2/3 ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ।

3— लेखा अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ।

4— जनसम्पर्क अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर व्ययन नियम —2018 अनुसार निविदा प्रकाशन एवं उपरोक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेवसाईट पर समस्त अभिलेख के साथ अपलोड करने हेतु

5— भूखण्ड शाखा प्रभारी एवं साईट इंचार्ज **भगवान सिंह माथुर** योजना की ओर सूचनार्थ।

6— कार्यालय कमिश्नर ग्वालियर /कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर /कार्यालय कमिश्नर नगर निगम /तहसीलदार, तहसील कार्यालय ग्वालियर की ओर भेजकर निवेदन है कि निविदा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने की कृपा करें।

7— कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

8— श्री भास्कर राव काले , प्रभारी मानचित्रकार की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जनसम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर उक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेवसाईट पर अपलोड कराकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
ग्वालियर

प्ररूप–ट

(नियम 8 (2) (छह) देखिए)

आवेदन क्रमांक ....
श्रेणी – अनारक्षित

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :–

1. विधिवत रूप से भरा गया आवेदन पत्र
2. छायाचित्र (फोटोग्राफ)
3. शपथ–पत्र (Affidavit)
4. आय प्रमाण पत्र (Income Certifiate)
5. आरक्षण के संबंध में प्रमाण–पत्र, यदि लागू हो (सत्यप्रतिलिपि में)

ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर

स्कीम क्रमांक **भगवान सिंह माथुर सिटी इन्क्लेव योजनान्तर्गत** में लॉटरी पद्धति द्वारा 3BHK इकाइयों हेतु आवेदन प्रपत्र

विज्ञापन क्रमांक 3515
दिनांक 10.06.2020
आवेदन प्रपत्र क्रमांक ....
मूल्य रू. 1000 + जी.एस.टी. रू.180
अहस्तान्तरणीय (Non Transferable).

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

आवेदक का नाम ....

आवेदक का पासपोर्ट आकार का छाया चित्र यहां चिपकाया जाए

महोदय,

निवेदन है कि विज्ञापन क्रमांक **3515** दिनांक 10-06-2020 के आधार पर मुझे पट्टे पर निम्न भूखण्ड/ईकाई आवंटित करने का कष्ट करें। अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार भर कर प्रस्तुत की जा रही है।

1. आवेदक का नाम : ....

2. पिता/पति का नाम : ....

3. आवेदक की आयु : ....

4. पूरा पता : ....

   दूरभाष/मोबाईल .... (कार्यालय) ....(निवास) ....

5. कुल मासिक आय रूपये : ....

6. यदि नियोजित हो, तो नियोजक का नाम : ....

   ....

7. सेवा की अवधि : ....

8. यदि निजी व्यवसाय : ....

   में हैं, तो उसका ब्यौरा .... दूरभाष क्र. निवास .... दूरभाष (कार्यालय) ....मोबा.नं. ....

9. निबंधन तथा शर्तो के अनुसार : ....

   शपथ पत्र संलग्न है

10. आवेदन–प्रपत्र डाउनलोड करने की दशा में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्र. ....दिनांक ....बैंक का नाम .. ..राशि ....

11. मैं आश्वासन देता/देती हूं कि यदि मेरा आवेदन प्रपत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं भूखण्ड/इकाई की बकाया अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान निर्धारित समय पर जमा कर दूंगा/दूंगी तथा वार्षिक पट्टा भाड़ा भुगतान तिथि को नियमित रूप से समय पर जमा कर दूंगा/दूंगी।

12. मैं आश्वासन देता/देती हूं कि मैं शासन तथा प्राधिकरण द्वारा, समय–समय पर बनाये गये नियमों/विनियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

13. मैंने प्राधिकरण के भूखण्ड/इकाई के आवंटन से संबंधित निबंधन, शर्तो तथा नियमों को समझ लिया है तथा ये मुझे स्वीकार है।

14. यदि आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत की गई कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो प्राधिकरण को मेरे आवेदन प्रपत्र को निरस्त करने तथा जमा की गई पंजीयन राशि का समपहृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अनुलग्नक :

1. आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करने की दषा में रू. 1000/— का ड्राफ्ट /बैकर्स चैक क्र. .... दिनांक .... बैंक का नाम ....
2. पंजीयन हेतु ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक .... तारीख ....रूपये .... बैंक का नाम ....
3. निबंधन तथा शर्तो की हस्ताक्षरित प्रति
4. शपथ—पत्र
5. आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो)
   (उपरोक्त में जो लागू नही हो उसे काट दिया जाये।)

....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर

नियत दर पर सम्पत्तियों के व्ययन संबंधी निबंधन तथा शर्ते (Terms and Conditions for Disposal of Properties on Fixed Rate)

एक– सामान्य शर्ते (General Terms)

1. व्ययन के लिए उपलब्ध सम्पत्तियों (परिसम्पत्तियों) से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर भूखण्डों/इकाईयों को लाटरी के आहरण अनुसार आवंटित किया जाएगा।
2. सम्पत्ति के आवंटन हेतु आवेदक को अपना आवेदन प्रपत्र विहित प्ररूप में प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रपत्र विज्ञापन में उल्लेखित समय सीमा के भीतर ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
3. विज्ञापन के अधीन भूखण्डो/इकाइयों के क्रमांक का आवंटन लॉटरी द्वारा संपन्न किया जाएगा।
4. एक परिवार (जिसमें पति/पत्नी/अवयस्क बच्चे हो) से केवल एक आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि पति तथा पत्नी में से केवल एक को ही आवेदन करने की पात्रता होगी। इस निबंधन तथा शर्त के किसी उल्लघंन किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त आवेदनों को निरस्त किया जा सकेगा।
5. सम्पत्ति के लिए आवेदक को यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके/उनके द्वारा प्राधिकरण की किसी योजना के अंतर्गत इससे पूर्व नियत दर पर कोई भूखण्ड/इकाई की प्राप्ति नहीं की गई है।
6. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता हो तो उस दशा में उसे इस बारे में प्राधिकरण को लिखित में सूचना उपलब्ध करानी होगी।
7. यदि कोई अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आवेदन हेतु नियत अन्तिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन वापस ले लेता है तो आवेदक द्वारा जमा की गई राशि में से दस प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात आवेदक को शेष राशि लौटा दी जाएगी। पंजीयन स्वीकार किये जाने हेतु लॉटरी का आहरण किये जाने की प्रक्रिया के बाद सम्पत्ति का प्रावधिक आवंटन हो जाने पर, आवेदन के साथ जमा पंजीयन राषि वापस नहीं की जाएगी तथा जमा की गई राशि को समपहृत कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

दो– भुगतान की शर्ते (Payment Terms)

1– सफल आवेदक के पंजीयन की स्वीकृति के बाद बकाया किष्तों के मांग पत्र में उल्लेखित समय–सीमा में निर्धारित किष्तों की राषि जमा करानी होगी।

2– आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की राषि तथा एक वर्ष का लीजरेंट जमा करने के पश्चात ही उसे आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।

3– जहां सफल आवेदनकर्ता विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपरोक्तानुसार संदाय करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आवंटन को रद्द तथा पंजीयन राषि रकम को समपहृत कर सकेगा। जब तक कि प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार लिखित रूप में उक्त समय सीमा में वृद्वि नहीं की गई हो।

4–. पट्टाधारी (Lessee) अथवा हस्तांतरिती (Transferee) सरकार, नगर पालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी कानूनी निकाय द्वारा उदग्रहीत समस्त करों/शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तारीख से आधिपत्य को विचार में लिए बिना भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।

5— व्ययन नियम 2018 के भाग तीन में नियम 11 अनुसार विक्रित सम्पत्ति पूर्ण विकसित अथवा निर्मित होने से एक मुश्त राशि के भुगतान पर आवंटित की जावेगी। यदि आवेदनकर्ता द्वारा एक मुश्त राशि न देते हुये किश्तों पर भुगतान के संबंध में कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसके आवेदनुसार ऐसी किश्तों पर अधिकतम आठ त्रेमासिक किश्तों में भुगतान किया जोवगा और किश्तों पर अधिकतम ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैक द्वारा अधिसूचित /ऋण दरों में दो प्रतिशत जोडकर निर्धारित की जायेगी।

6— सम्पत्ति का आवंटन किये जाने पर यदि प्राधिकरण सम्पत्ति का आधिपत्य किसी भी कारण से चाहे जो भी हो, आवंटिती को प्रदान करने में असमर्थ रहता है तो प्राधिकरण द्वारा जमा रकम की वापसी सात प्रतिशत की ब्याज दर के साथ की जाएगी।

7— यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में सम्पत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम या अधिक पाया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा वार्षिक पट्टा भाड़ा आनुपातिक रूप से कम या अधिक किया जाएगा।

8— किसी किस्त के भुगतान में विलम्ब होने पर आवंटिती को 5 प्रतिशत की दर से दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना होगा, जो उपरोक्त बिन्दु 5 में विनिर्दिष्ट किये गये 7 प्रतिशत की ब्याज दर के अतिरिक्त होगा। यदि किसी किस्त के भुगतान में की गई चूक 6 माह से अधिक की अवधि हेतु जारी रहती हो, तो प्राधिकरण को आवंटन प्रतिसंहरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। तथापि, अदायगी अनुसूची के प्रत्येक उल्लघंन पर प्राधिकरण निरस्तीकरण के बदले में रू. 10000/— का अर्थदण्ड वसूल किये जा रहे ब्याज तथा दाण्डिक ब्याज भुगतान के अतिरिक्त अधिरोपित कर सकेगा।

तीन— सम्पत्ति को पट्टे पर प्रदान करने संबंधी निबंधन (Terms for Lease Property)

1. सम्पत्ति पट्टा आधार पर (Lease Basis) 30 वर्षो की अवधि के लिये प्रदान किया जाएगा (जब तक अन्यथा सरकारी सम्पत्तियों की दशा में ऐसी सम्पत्तियों के लिये जो प्राधिकरण के अंतर्गत निहित हो या जिनका प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा हो तथा जो विशिष्ट रूप से सामान्य/विशेष स्वीकृति के अनुसार अथवा प्राधिकरण की किसी सम्पत्ति के बारे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियंत्रित की जा रही है) जिनकी कालावधियों का विस्तार 30 वर्षो की दो अतिरिक्त अवधियों के लिए किया जा सकेगा, जिसके अनुसार प्राधिकरण को वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रत्येक नवीनीकरण के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत वार्षिक पट्टा भाडा के 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने का अधिकार होगा।
2. सम्पत्ति का वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रभारित अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का 0.1 प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा।
3. सम्पत्ति के लिए निर्धारित वार्षिक पट्टा भाड़े का भुगतान प्रति वर्ष अग्रिम रूप से देय होगा तथा प्रति वर्ष एक जून को या इससे पूर्व किया जाएगा। प्रथम वार्षिक पट्टा भाड़ा उस वित्तीय वर्ष, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा आधिपत्य सौंपे जाने की तिथि अधिसूचित की गई हो, एक जून से देय होगा।
4. जहां पट्टाधारी द्वारा देय वार्षिक पट्टा भाड़ा रकम का भुगतान नियत तारीख से तीन माह से अधिक की अवधि हेतु लम्बित रहता है, वहां प्राधिकरण द्वारा वार्षिक पट्टा भाडा रकम की वसूली की प्रक्रिया भू राजस्व की बकाया रकम (Arrears of Land Revenue) के रूप में प्रारंभ की जा सकेगी।
5. सम्पत्ति का आधिपत्य "जैसा है जहां है" के आधार पर सौंपा जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया हो)
6. आवंटिती को सम्पत्ति का आधिपत्य, अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा प्रथम वर्ष की अग्रिम वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि का पूर्ण भुगतान के बाद ही सोंपा जाएगा (जब तक इस बारे में नियम 13 के अंतर्गत राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन द्वारा सम्पत्ति आवंटन के लिए विशेष स्थितियों में विशिष्ट उपबंध न कर दिया गया हो, जिससे प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम का न्यूनतम 25 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया हो)।
7. अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) द्वारा सम्पत्ति के वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तिथि तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी तथा

सम्पत्ति का पट्टा उक्त अधिसूचित तिथि से तथ्य पर विचार किए बिना प्रांरभ हो जाएगा चाहे आवंटिती द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य किया गया हो अथवा नहीं।

8. अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये निदर्शन पत्र के अनुसार आवंटिती द्वारा पट्टा विलेख (Lease Deed)/दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की तारीख से तीन माह के भीतर पट्टाधारी (Lease) अनिवार्यतः रजिस्ट्रार (Registrar) के कार्यालय से पट्टे को रजिस्ट्रीकृत कराना होगा। पट्टाधारी को पट्टा अभिलेख के रजिस्ट्रीकरण से संबंद्ध समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पट्टाधारी पट्टे के रजिस्ट्रीकरण से तीस दिन के भीतर पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।

9. पट्टाधारक, पट्टे की शर्तो के अधीन रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति का अंतरण प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कर सकेगा और उसे प्राधिकरण द्वारा अवधारित अंतरण शुल्क की राशि जमा करना होगी, जो अंतरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन तिथि को प्रचलित प्रयोज्य मार्गदर्शक दर के 0.5 प्रतिशत होगी। जहां अतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यायगमन (natural devolution of heirship) के अनुक्रम में चाहा गया हो, वहां कोई अंतरण शुल्क देय नहीं होगा।

10. पट्टाधारी, को पट्टा विलेख के पंजीयन उपरांत प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर ऋण की प्राप्ति हेतु इकाई को बंधक (mortgage) रखने का अधिकार होगा।

11. पट्टाधारी जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक है उसे प्राधिकरण को रू. 1000/– अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

12. ऐसे प्रकरण में जहां पट्टाधारी पट्टा विलेख की किसी शर्त का उल्लघंन करता हो, वहां प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति के पट्टे को रद्द किया जा सकेगा। पट्टे के रद्दकरण के पश्चात् प्राधिकरण को सम्पत्ति में पुनः प्रवेश करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

चार– आवंटित सम्पत्तियों के लिए विकास तथा भवन निर्माण विनियम (Development and Building Regulations for Allotted Properties)

1. आवंटित की गई सम्पत्ति के बारे में इसके अभिहित उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा। कोई भी निर्माण कार्य जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो, को अनाधिकृत कार्य माना जाएगा तथा ऐसे कृत्य को पट्टे की शर्तो का उल्लघंन माना जाकर, तद्नुसार संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की पहल की जाएगी।

2. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके अभिहित उपयोग से अन्यथा किया जाता है और/या कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शें का उल्लघंन कर अथवा स्वीकृत नक्शों के बगैर ही सम्पन्न किया जाता है तो प्राधिकरण को आवंटन/पट्टा रद्द करने का अधिकार होगा। ऐसी परिस्थितियों में पट्टाधारी को किसी कानूनी अथवा कोई सरकारी अभिकरण द्वारा उस पर अधिरोपित किसी अर्थदण्ड का भुगतान भी करना होगा।

3. पट्टाधारी सेवा संबंधी आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगरपालिकनिगम/नगरपालिक परिषद् अथवा सेवाप्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जल प्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां पट्टाधारी नगर पालिक निगम/नगर पालिक परिषद के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।

4. पट्टाधारी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

पांच– आवंटन का अन्तरण (Transfer of Allotment)

संपत्ति के आवंटन का अंतरण सम्पत्ति आवंटन तारीख से छह माह की अवधि के समाप्त होने के पश्चात ही किया जा सकता है आरक्षित श्रेणी के अधीन आवंटित की गई सम्पत्तियों के बारे में अन्तरण, केवल ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञेय किया जाएगा, जो आरक्षण की उसी श्रेणी के अंतर्गत इसे धारित करने की पात्रता रखता हो जिस हेतु सम्पत्ति को पूर्व में आवंटित किया गया हो। अन्तरण शुल्क का भुगतान अधिमूल्य (प्रीमियम) अथवा अन्तरण तारीख को प्रचलित लागू कलेक्टर गाइड लाइन दर (applicable guideline rate) की एक प्रतिशत की दर से इनमें से जो भी अधिक हो, भुगतान योग्य होगा।

छह– अन्य निबंधन तथा शर्ते (other Terms and Conditions)

1. यदि बोली से संबंधित निबंधन तथा शर्तो में तथा "मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2013" के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/कानूनी उपबन्धों में विसंगति उदभूत होती है तो अंतिम उल्लेखित उपबंध अभिभावी रहेंगे और पट्टाधारी पर बाध्यकारी होंगे।
2. यदि योजना के अधीन कोई विशेष निबंधन तथा शर्तो का विशदीकरण तत्संबंधी विज्ञापन में किया गया हो, वहां सम्पत्ति के प्राप्तकर्ता के लिये इन शर्तो के अलावा उपरोक्त उल्लिखित शर्ते भी बाध्यकारी होंगी।
3. निबंधन तथा शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर यदि विवाद उद्भूत होता है तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।
4. जहां कहीं शब्द "प्राधिकरण (Authority)" का उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधि, नाम निर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिती (permitted assignees) भी सम्मिलित होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द "पट्टाधारी (Lessee)" का उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा।
5. पंजीयन राषि नियत मूल्य का 10 प्रतिषत डी.डी/बैकर्स चैक द्वारा जोकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नाम देय होगा । आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

दिनांकः ....

....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

मोबा.क्र. ....

लागू विधि के अनुसार मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांकों पर सम्यक रूप से नोटरी प्रमाणीकरण के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए

शपथ–पत्र (Affidavit)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों (आस्तियों)(Assets) के लिए विहित)

1. मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूं कि :–

मेरा नाम	:	....
पिता/पति का नाम	:	....
आयु	:	....
मासिक/वार्षिक आय	:	....
पता	:	....
मोबा.क्र		....

2. यहकि, आवेदन के अंतर्गत दी गई समस्त जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
3. यहकि, मैने निबंधन एवं शर्तें जिसमें नियत दर आधार पर प्राधिकरण की सम्पत्ति के व्ययन के लिए नियम सम्मिलित हैं, भली भांति समझ लिया है और जो कि मुझे पूर्णतः स्वीकार है।
4. यहकि, आवेदन के अंतर्गत कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो प्राधिकरण को मेरा आवेदन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
5. यहकि, प्राधिकरण द्वारा मुझे नियत दर पर अथवा किसी विशेष योजना में, किसी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत जिसके लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई सम्पत्ति पूर्व में आवंटित नहीं की गई है।
6. यहकि, यह शपथ पत्र मेरे द्वारा ग्वालियर विकास प्राधिकरण की की **भगवान सिंह माथुर सिटी इन्क्लेव योजनान्तर्गत एच.आई.जी. ईकाईयों (फ्लेट्स) में** नियत दर के अनुसार इकाई क्रय हेतु इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन के अधीन रहते हुए, प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :

अभिसाक्षी

: सत्यापन ::

मैं .... पिता/पति श्री .... सत्यापित करता हूं/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त सूचना व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न इसे छिपाया गया है जो आज दिनांक .... को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

1. कोई भी विषय वस्तु जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ–पत्र में शामिल न करें।
2. किसी अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया शपथ–पत्र मान्य नहीं होगा।